Name - (Dr) D. N. Singh

Designation - Associate Professor

Deptt - Political Science

Paper - Comparative Politics

B.A - Hons / Sub - II
I

Topic - Marxian theory of Rights and
- Classification of Rights Part I

Date - 29 - 08 - 2020

अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत

अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत का विकास वस्तुतः साम्यवादी विचारकों ने किया है, जिसे व्यावहारिक रूप साम्यवादी देशों के संविधानों ने दिया। सोवियत संघ, चीन, पोलैंड, हंगरी, रूमानिया, यूगोस्लाविया आदि साम्यवादी देशों के लिखित संविधानों में मानवीय अधिकारों तथा कर्तव्यों की लिखित चर्चा मिलती है। अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना नीचे की गई है।

हीगेल के दर्शन की आलोचना—अपने प्रारंभिक दिनों में मार्क्स हीगेल के जर्मन राज्य से संबद्ध विचारों का विश्लेषण और आलोचना करता है। मार्क्स की दृष्टि में हीगेल का जर्मन राज्य आधुनिक राज्य का वास्तविक नमूना था। हीगेल मनुष्य और नागरिक के अलग-अलग अधिकारों की चर्चा करता है; क्योंकि, उसके विचार में मनुष्य के दो रूप हो जाते हैं—एक मनुष्य के रूप में और दूसरा नागरिक के रूप में। नागरिक समाज का मानव संकीर्ण और स्वार्थी है, जो अपने हितों की पूर्ति में लगा रहता है। इसी उद्देश्य से वह ऐसे अधिकार चाहता है, जो दूसरों के अधिकारों से टकराते हैं। इसके विपरीत, आदर्श राज्य का नागरिक समष्टि के हित में काम करता है। नागरिक के अधिकार और कर्तव्य राज्य द्वारा उसके उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

कार्ल मार्क्स हीगेल के राज्य और अधिकार-संबंधी उपर्युक्त विचारों की कटु आलोचना करता है। इन्हें वह अमूर्त एवं काल्पनिक बताता है। वह राजनीतिक मनुष्य के दोहरे जीवन-मनुष्य और नागरिक के रूप-को काल्पनिक कहता है। इस आधार पर वह अधिकारों के दो भागों (i) मनुष्य के अधिकार और (ii) नागरिक के अधिकार में खंडित करने की आलोचना करता है। इस प्रकार, **मार्क्स** के विचार में "अधिकारों का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ है। मानव समाज से अलग एक इकाई के रूप में इनका उपभोग करता है।" निजी संपत्ति के अधिकार में मार्क्स मनुष्य की इस बुर्जुआ धारणा की अभिव्यक्ति पाता है।

अधिकारों की बुर्जुआ व्यवस्था में अविश्वास—मार्क्स राज्य को एक कृत्रिम, संगठित शोषण की और बाहर से लादी गई सामाजिक शक्ति के रूप में देखता है। उसके अनुसार, राज्य पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों से अतिरिक्त मूल्य वसूलने और मजदूरों के विद्रोह से उनकी रक्षा करने का साधन है। वह वर्तमान लोकतंत्र की स्वतंत्रता और समानता के उच्च आदर्शों को केवल कल्पना मानता है। साम्यवादी जनतांत्रिक देशों द्वारा लिखित अधिकारों की लंबी सूची को एक ढकोसला मानते हैं। **स्तालिन** ने कहा है, "भूखे-बेरोजगार के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वहीं संभव है, जहाँ शोषण बेरोजगारी, भिखमंगी या कल के लिए चिंता का कोई स्थान न हो।" सच पूछिए तो अधिकारों की उपयोगिता उनके उपभोग में है, जिसके लिए आवश्यक साधनों का रहना आवश्यक है। नागरिक अधिकारों का संविधानों में उल्लेख करना उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि उन्हें व्यावहारिक रूप देना है। सोवियत लेखक **निकोलाई चेर्निश्वस्की** ने कहा था, "सभी लोगों को सोने की थाली में खाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस अधिकार के उपभोग के लिए सभी के पास सोने की थाली होनी चाहिए।"

प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मिथ्यापूर्ण—मार्क्स ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को गलत बताया है। जन्मसिद्ध अधिकार के सिद्धांत को उसने अमान्य कहा है; क्योंकि यह काल्पनिक तथा वास्तविकता से परे है। उसके अनुसार, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक संविदा दोनों गलत हैं। वह समाज को ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है।

अधिकार समाज के प्रति दावा नहीं है—उदारवादियों के अनुसार, राज्य शक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति के कुछ अधिकार आवश्यक हैं, जो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे हैं। इस अर्थ में व्यक्ति के अधिकार राज्य की शक्ति पर सीमा है। उनका प्रयोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार, राज्य तथा व्यक्ति में विरोध नहीं है। **स्तालिन** के अनुसार, "समाजवाद व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें समूहों के हितों में मिला देता है।" साम्यवादियों के अनुसार, अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे नहीं हैं, बल्कि वे समाजवादी, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के प्रतिफल हैं। साम्यवादी देश इन अधिकारों को व्यक्ति के हित के लिए नहीं, वरन् समाजवाद की स्थापना तथा दृढ़ता के लिए व्यक्तियों को प्रदान करता है। अतः, वे जन्मसिद्ध दावे न होकर राज्य की ओर से व्यक्ति को दिए गए दान हैं।

अधिकारों का समाजवादी आधार—पश्चिम के उदारवादी लोकतंत्रीय देशों में नागरिक अधिकारों का आधार व्यक्तिवाद है। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का आधार है। इसके विपरीत, साम्यवादी देशों में अधिकारों का आर्थिक व्यक्तिवाद से कोई संबंध नहीं है। उनका आधार समाजवादी व्यवस्था है, जो नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है।

अधिकारों का उद्देश्य सर्वहारावर्ग के हितों की रक्षा—साम्यवादी देशों में संविधानों का एकमात्र उद्देश्य सर्वहारावर्ग के हितों की प्राप्ति तथा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना है। अतः, साम्यवादी संविधान नागरिकों के ऐसे अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं करते, जो सर्वहारावर्ग के हितों या समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध है। सोवियत नागरिक भाषण, समाचारपत्र तथा संगठन-संबंधी नागरिक स्वतंत्रताओं का तभी तक मात्र समाजवादी मान्यताओं के अनुरूप ही कर सकते हैं। विश्व के अन्य जनतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इन देशों में केवल यही बंधन है कि देश की सुरक्षा के विरुद्ध नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते।

अधिकारों का आर्थिक आधार—जहाँ प्रजातांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ साम्यवादी देशों में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। इन देशों में नागरिक अधिकार गौण है। इन साम्यवादी देशों की मान्यता है कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। भूखे और बेरोजगारों के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। साम्यवादी देशों में काम मिलने और छुट्टी पाने, बीमारी-बुढ़ापे का इलाज या देखभाल, शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप भरण-पोषण पाने, जीविका पाने इत्यादि जैसे अधिकारों पर जोर दिया गया है। ऐसे अधिकार अनेक जनतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। काम पाने का अधिकार समाजवादी देशों के नागरिकों का सर्वप्रमुख अधिकार माना जाता है। **विशिंस्की** ने इसे अन्य अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का आधार बतलाया है। आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत साम्यवादी देश अपने नागरिकों को विश्राम तथा मनोरंजन और मौलिक सुरक्षा का अधिकार भी देते है।

व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार—चूँकि, मार्क्सवादी व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध है, इसलिए साम्यवादी देशों के नागरिकों के लिए किसी प्रकार की निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। इन देशों में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होने से नागरिकों को केवल सीमित संपत्ति का अधिकार प्राप्त है।

नागरिक स्वतंत्रताओं का अधिकार—साम्यवादी देशों के नागरिकों को कुछ नागरिक अधिकार भी दिए जाते हैं; जैसे भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता आदि। इन नागरिक अधिकारों के साथ यह शर्त लगी रहती है कि वे सर्वहारावर्ग के हितों से न टकराते हों तथा वे समाजवादी व्यवस्था को दृढ़ बनाने में सहायक हों।

अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों का उल्लेख—साम्यवादी अधिकारों की यह भी विशेषता है कि वे अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख करते हैं, जबकि उदारवादी देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ कर्तव्यों को लिपिबद्ध करने की कोई परिपाटी नहीं है। सोवियत संघ के संविधान में नागरिकों के निम्नलिखित आठ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है—

(i) सोवियत संघ के संविधान का पालन करना।

(ii) सोवियत विधियों का पालन।

(iii) श्रम-संबंधी अनुशासन का निर्माण करना।

(iv) सार्वजनिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना।

(v) समाजवादी व्यवस्था के नियमों का पालन करना।

(vi) राज्य की संपत्ति का सही उपयोग एवं उसकी रक्षा करना।

(vii) संघीय सेना में अनिवार्य रूप से भरती होना।

(viii) देश की रक्षा करना।

निष्कर्ष—उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मार्क्सवादी अधिकारों के सकारात्मक पहलू पर अधिक जोर देते हैं। उनकी दृष्टि में पश्चिमी देशों में प्रचलित नागरिक अधिकार मात्र कागजी महत्व के हैं और उनका वास्तव में कोई मूल्य नहीं। साम्यवादी मान्यता ठीक ही है कि आर्थिक अधिकारों के अभाव में राजनीतिक अधिकार अर्थहीन हैं। साम्यवादियों का यह कहना भी सही है कि कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों को सार्थक बनाया जा सकता है।

अधिकारों का वर्गीकरण *(Classification of Rights)*

अधिकारों का स्वरूप सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से बदलता है। यही कारण है कि पुराने समय में हम जिन अधिकारों को महत्त्व देते थे, आज वे महत्त्वहीन हो गए हैं। लॉक संपत्ति को ऐसा अधिकार मानता था, जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था; लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में संपत्ति-संबंधी अधिकार के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया है और राज्य उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। संक्षेप में, हम अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं—

अधिकार

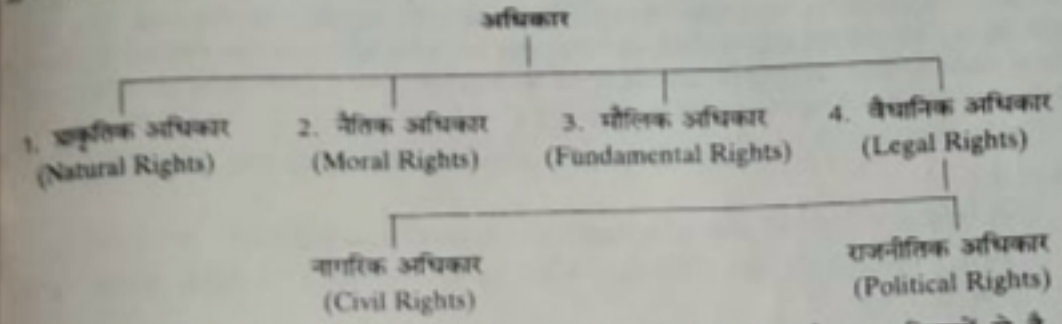

- 1. प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights)
- 2. नैतिक अधिकार (Moral Rights)
- 3. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
- 4. वैधानिक अधिकार (Legal Rights)
  - नागरिक अधिकार (Civil Rights)
  - राजनीतिक अधिकार (Political Rights)

1. **प्राकृतिक अधिकार** (Natural rights)—प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से है, जो लोगों को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। **हॉब्स** ने प्राकृतिक अधिकार के संबंध में कहा है कि यह मनुष्य की वह शक्ति है, जिसे वह अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए मनमाना करता है, अर्थात हॉब्स 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (Might is Right) के सिद्धांत को भी प्राकृतिक अधिकार समझता है। जॉन लॉक ने 'जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति' (Life, Liberty and Property) के अधिकारों को भी प्राकृतिक अधिकार स्वीकारा है। ये प्राकृतिक अधिकार मानव-स्वभाव में निहित हैं। मनुष्य न तो इन्हें दूसरों को दे सकता है और न राज्य इनका अपहरण कर सकता है। **ग्रीन** के अनुसार, ''प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं, जिनके अभाव में मानव अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।''

2. **नैतिक अधिकार** (Moral rights)—नैतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं, जो समाज की नैतिक धारणा पर आधारित होते हैं। जैसे—शिष्टाचार, सच्चरित्रता तथा छोटे-बड़ों का खयाल करना। रीति-रिवाजों और परंपराओं के ये विकसित रूप होते हैं। मनुष्य अपना नैतिक कर्तव्य समझकर इन अधिकारों का पालन करता है। इसलिए, इनके पालन का आधार राज्य की शक्ति नहीं होता। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ये अधिकार वैधानिक रूप ग्रहण कर लेते हैं।

3. **मौलिक अधिकार** (Fundamental rights)—मौलिक अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार के बिना सभ्य एवं श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। मौलिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति रहती है। यदि सरकार इन अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तो न्यायालय इनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत-से देशों ने अपने संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शामिल कर उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया है। ये अधिकार हैं—समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि।

4. **वैधानिक अधिकार** (Legal rights)—वैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं, जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है और जिनकी रक्षा राज्य के कानूनों द्वारा होती है। **गिलक्राइस्ट** ने वैधानिक अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है, ''वैधानिक अधिकार वह विशेषाधिकार है, जिसका प्रत्येक नागरिक अपने सह-नागरिकों के साथ उपभोग करता है, जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और उसी सत्ता द्वारा इसकी रक्षा भी होती है।'' वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करनेवाले को राज्य दंड देता है। जैसे—जीवन का अधिकार व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, इसलिए यदि कोई किसी की हत्या करता है तो वह दंड का भागी बनता है। वैधानिक अधिकार दो तरह के होते हैं—

(A) नागरिक अधिकार (Civil right),

(B) राजनीतिक अधिकार (Political right)।